



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ०प्र०)

Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University, Gorakhpur (U.P.)

वाहन की नीलामी की नियम एवं शर्तें

1. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को लेखा विभाग से रू० 1,200/- (एक हजार दो सौ रुपये मात्र)(1,000+200) की रसीद कटवानी अनिवार्य होगी अथवा वि” वविद्यालय की वेबसाइट से नियम एवं भार्ते डाउन लोड करने की द” ा में रू० 1,200/- (एक हजार दो सौ रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर वि” वविद्यालय, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा, जो कमेटी कक्ष में दिनांक 12.09.2018 को 3.00 बजे जमा करना होगा।
2. नीलामी के इच्छुक व्यक्तियों को रू० 20,000/- (रू० बीस हजार) नगद कमेटी कक्ष में दिनांक 12.09.2018 को 3.00 बजे जमा करना होगा।
3. नीलामी दिनांक दिनांक 12.09.2018 को प्र” ासनिक भवन स्थित कमेटी कक्ष में अपरान्ह 03 बजे क्रय समिति के समक्ष की जायेगी।
4. नीलामी के उपरान्त नीलामी में आये उच्चतम बोली के व्यक्ति को छोड़कर भोश व्यक्तियों का रू० 20,000/- (रू० बीस हजार) कमेटी कक्ष में ही वापस कर दिया जायेगा।
5. उच्च बोली वाले व्यक्ति को 07 दिन के अन्दर नीलामी का पूरा पैसा वि” वविद्यालय के लेखा विभाग में जमा करना होगा।
6. वाहन का पूरा पैसा जमा करके समस्त कागज सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय से अपने पक्ष में कराने के उपरान्त वाहन ले जाने दिया जायेगा।
7. नीलामी में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में कुलपति जी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर वि” वविद्यालय गोरखपुर का निर्णय मान्य होगा।
8. प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 1 से 8 तक की सभी भार्ते मान्य हैं।

प्रार्थी

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता का नाम.....

पता.....